न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 14 / 2016

राज.सरकार जरिये अति. पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1– मनीष कुमार माली पुत्र गोविन्द सिंह माली उम्र 19 साल निवासी मालीपुरा थाना सेवर
2– योगेश कुमार शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा निवासी नीम दरवाजा भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990

निर्णय दिनांक 27–11–2017

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.8.2016 को पुलिस थाना सेवर में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग की प्राप्त सूचना पर मय जाप्ता सीधे ही अप्रार्थी0 की किराये की दुकान जो जैन मन्दिर के सामने सड़क के पास गली में स्थित दुकान पर पहुंच कर जॉच की गई। मौके पर बताया गया कि एक व्यक्ति गैस सिलेण्डर के पास खडा होकर मोटर से लगे पाईप को पकड़े खड़ा था पुलिस को देखकर भाग गया मौके पर दो सिलेण्डर एलपीजी गैस के रखे हुये मिले, तथा एक बिजली की मोटर जो पाईप से पास ही में खड़ी मारुती वैन की डिक्की में लगे टेंक में एलपीजी भरी जा रही थी। मौके पर मनीष कुमार शर्मा पुत्र गोविन्द सिंह माली जो कि पाईप से एलपीजी गैस वाहन में भर रहा था जो मोके से भाग गया था। दुकान पर दुकान मालिक योगेश कुमार शर्मा अप्रार्थी न.2 है मौके से भाग गया। इस प्रकार अप्रार्थी0 द्वारा बिना किसी लाईसेंस के घरेलू उपयोग के लिये उपलब्ध एलपीजी सिलेण्डरों से अवैध रुप से व्यावसायिक प्रयोग के लिये गैस को मारुति वैन में भरने की कार्यवाही की जा रही थी। अप्रार्थी0 का यह कृत्य वाणिज्यिक प्रयोजन में दुरुपयोग कर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन)आदेश 2000 के खण्ड 3,4 एवं 7 तथा राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद(अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लघंन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके से जप्त शुदा दो घरेलू गैस सिलेन्डर एक कांटा इलैक्ट्रोनिक, एक मोटर विधुत चलित मय दो प्लासिटक पाईप एक बांसुरी एक मारुति वेन आरजे 05 यूए 5906 को बतौर बजह सबूत जप्त सरकार कर सुरक्षा की दृष्टी से पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करवाया है।

प्रार्थी ने मौके पर जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा इलैक्ट्रोनिक एक मोटर विधुत चलित मय दो प्लास्टिक पाईप, एक बांसुरी राजसात करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस अन्तर्गत धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी मनीष कुमार की ओर से जबाब पेश किया गया। अप्रार्थी योगेश ने अपने जबाब

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रकरण में सह अभियुक्त ने जो जबाब पेश किया है, वही प्रार्थी का पढा व समझा जावे। अभिभाषक अप्रार्थी उभय पक्ष उपस्थित। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि प्रार्थी ने जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा इलैक्ट्रोनिक एक मोटर विधुत चलित मय दो प्लास्टिक पाईप, एक बांसुरी को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है, उक्त सामान से अप्रार्थी. को कोई लेना देना नहीं मारुति वैन बाबत प्रार्थी ने राजसात किये जाने की की कोई प्रार्थना नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी न.1 मनीष वैन खड़ी कर चाय पी रहा था, अप्रार्थी मनीष को बेवजह फंसाया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अप्रार्थी के विरुद्व की गई प्रकरण धारा 6ए कार्यवाही को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी धारा 6 ए में मौके पर जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा इलैक्ट्रोनिक एक मोटर विधुत चलित मय दो प्लास्टिक पाईप, एक बांसुरी राजसात करने की प्रार्थना की गई। अप्रार्थी. ने उक्त सामान से कोई लेना देना नहीं बताया है और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा उक्त जप्त सामान के बाबत कोई उज्रदारी पेश की है। ऐसी स्थिति में जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर, एक कांटा इलैक्ट्रोनिक एक मोटर विधुत चलित मय दो प्लास्टिक पाईप, एक बांसुरी राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर (मय गैस), एक कांटा इलैक्ट्रोनिक एक मोटर विधुत चलित मय दो प्लास्टिक पाईप, एक बांसुरी राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजसात सामान को प्राप्त कर, जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे। तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर एवं अति. पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण भरतपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।

निणर्य आज दिनांक 27.11.2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर